दिनांक– 06 मार्च, 2012 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय।

नगर विकास एवं आवास विभाग

1.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध करों के अन्तरण से प्राप्त होने वाली राशि ₹17156.00 लाख (एक अरब एकहत्तर करोड़ छप्पन लाख रू० मात्र), असंबद्ध अनुदान की राशि ₹ 5220.00 लाख (बावन करोड़ बीस लाख रू० मात्र) तथा नगर निकायों के सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ हेतु ₹2777.00 लाख (सताईस करोड़ सतहत्तर लाख रू० मात्र) अर्थात् कुल ₹25153.00 लाख (दो अरब एकावन करोड़ तिरेपन लाख रू० मात्र) सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2.	श्री अरूण कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता द्वारा भवन अवर प्रमंडल, खगड़िया के पदस्थापन काल में कैंसर रोग से ग्रसित अपनी पत्नी एवं दो छोटे–छोटे बच्चों को छोड़कर एक नाबालिग लड़की से अपना नाम बदलकर दूसरी शादी करने एवं दूसरी शादी के पश्चात भी अपनी प्रथम पत्नी से दहेज की मांग एवं प्रताड़ित करने के आरोप के लिए इन्हें सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग

3.	सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या–13030/2002, बी॰आई॰टी॰ मेसरा, राँच बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–27.01.2011 एवं 28.02.2011 तथा एल॰पी॰ए॰ संख्या–1136/2011 में दिनांक–21.10.2011 को पारित आदेशों के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन के पूर्व के बकाये की राशि रू० 378.563 लाख (तीन करोड़ अठहत्तर लाख छप्पन हजार तीन सौ रूपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2011–12 में बी॰आई॰टी॰ मेसरा, राँची प्रबंधन को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।

	<u>वित्त विभाग</u>	
4.	वित्त विभाग के उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी के पद को श्री ओम प्रकाश झा के वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके पदस्थापन तक संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी के पद में उत्क्रमित करने के संबंध में।	संलेख की कंडिका– 2 स्वीकृत।
	<u>योजना एवं विकास विभाग</u> (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	
5.	भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सांख्यिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राज्य, प्रमंडल एवं जिला मुख्यालयों में केन्द्र सम्पोषित योजना के तहत मो० 372.77 लाख रू० के संभावित व्यय पर वाहन एवं कार्यालय उपस्कर के क्रय तथा राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक मो० 390.62 लाख रू० के संभावित व्यय पर वाहन के परिचालन एवं रख–रखाव तथा कार्यालय संचालन एवं उपस्करों के रख–रखाव आदि की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	<u>स्वास्थ्य विभाग</u>	
6	डा० मोहम्मद आजाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाले, दरभंगा के सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव।	स्वीकृत।
	<u>सहकारिता विभाग</u>	
7.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	<u>उद्योग विभाग</u>	
8.	वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्र प्रायोजित समेकित हस्तकरघा विकास योजना के फेज–IV के अन्तर्गत 4 (चार) कलस्टर यथा– जमालहाता (सिवान), अखौरीगोला (रोहतास), डुमरावां (बाँका) एवं नबीनगर (औरंगाबाद) के लिए में केन्द्रांश के रूप में ₹ 69.934 (उन्हत्तर लाख तिरानवे हजार चार सौ) एवं राज्यांश के रूप में ₹ 5.36130 लाख (पाँच लाख छत्तीस हजार एक सौ तीस) के अनुमानित व्यय पर सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

9.	भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सांख्यिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक मो० 1,67,58,632.00 (एक करोड़ सरसठ लाख अन्ठावन हजार छः सौ बत्तीस) रूपये के संभावित व्यय पर एक नए कोषांग गठित करने की स्वीकृति।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10.	बक्सर जिलान्तर्गत चौगाई अंचल के मौजा–फफदर, थाना नं०–279, खाता नं०–211, खेसरा नं०–1535, रकबा–0.15 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पोखरा भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, फफदर के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबधं में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11.	बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के मौजा–कनौली, थाना नं०–147, खाता नं०–122, खेसरा नं०–1147, रकबा–0.07 एकड़ (सात डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म खलिहान भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कनौली के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12.	बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर अंचल के मौजा–एकरासी, थाना नं०–2285, खाता नं०–790, खेसरा नं०–4662, रकबा–0.10 एकड़ (दस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पुरानी परती भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, एकरासी के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	स्वीकृत।

वित्त विभाग

13.	राज्य वित्त आयोग के कार्यों के सम्पादनार्थ वित्त विभाग में स्थायी कोषांग के गठन एवं कोषांग के लिए पदों के सृजन के संबंध में।	संलेख की कंडिका– 5 स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14.	वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना के आधुनिकीकरण, पुनरूत्थान एवं अन्य व्यय के निमित्त कुल रूपये 4,45,22,500/– (चार करोड़ पैंतालीस लाख बाइस हजार पाँच सो) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश विमुक्ति के पश्चात् राज्यांश विमुक्ति की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में 35 प्रतिशत राज्यांश हेतु योजना मद से 50038.00/–लाख (पाँच अरब अड़तीस लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2011–12 व्यय एवं राशि की विमुक्ति की स्वीकृति। — स्वीकृत।

गृह विभाग

16. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) वेतनमान ₹9,300–34,800/–पी०बी०–3 ग्रेड पे–₹ 5,400/–से प्रमण्डलीय समादेष्टा (अपर पुलिस अधीक्षक स्तर) वेतनमान–₹ 15,600–39,100/–पी०बी०–3 ग्रेड पे–₹ 6,600/– में प्रोन्नति का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

17. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि 3,92,07,80,000 रू० (तीन अरब बानबे करोड़ सात लाख अस्सी हजार रू०), असम्बद्ध अनुदान राशि 1,79,85,00,000 रू० (एक अरब उनासी करोड़ पचासी लाख रू०) एवं जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ हेतु 8,23,20,000 रू० (आठ करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू०) अर्थात् कुल 5,80,16,00,000 रू० (पाँच अरब अस्सी करोड़ सोलह लाख रू०) की स्वीकृति। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के मौजा–परसियाँ, थाना नं०–604, खाता नं०–288, खेसरा नं०–844, रकबा–0.10 एकड़ (दस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पोखर पिण्ड भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, परसियाँ के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–730(15) दिनांक–28.05.2003 द्वारा बिहार राज्य में खेसारी (Lathyrus Sativus) तथा उसके सभी उत्पादों के बिक्री पर लगाये गये सभी प्रतिबंध को हटाने के संबंध में। — स्वीकृत।